



2026:AHC:63128

ए एफ आर

8.12.2025 को सुरक्षित

26.3.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या 623 वर्ष 1986

विनोद कुमार ...अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ...प्रतिवादी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जी. पी. दीक्षित, कृपा कान्त पांडे, राहुल मिश्रा, राजीव लोचन शुक्ल
विपक्ष(गण) के अधिवक्ता : ए जी ए

न्यायालय संख्या :- 89

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री के.के. पांडे और राज्य की ओर से ए. जी. ए श्री के.के. गुप्ता की दलीलें सुनीं।

2. इटावा के सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र ट्रायल नंबर 24/1985 में 21.2.1986 को दिए गए फैसले और आदेश के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई; अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध के लिए सात साल तक की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 23.10.1983 को इटावा जिले के बड़पुरा पुलिस स्टेशन में रघुबीर सिंह के बेटे बैजनाथ सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-1) दर्ज कराई। इसे कसाटा गांव के त्रिभुवन सिंह ने लिखा था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि 20.10.1983 को उसका बेटा महेश सिंह घर पर था, तभी विनोद कुमार आया और उसे अपने साथ ले गया। जब महेश वापस नहीं लौटा, तो उसके छोटे भाई जगदीश सिंह ने 22.10.1983 को शाम 7:00 बजे जसवारा पुलिस चौकी पर सूचना दी। 23.10.1983 को अपने बेटे की तलाश के दौरान, शिकायतकर्ता को महेश सिंह का शव काली प्रसाद बाजपेयी के खेत के पास मिला, जिसके शरीर पर चोटें थीं। उसे शक था कि शिव राम शुक्ला के दोनों बेटों, विनोद कुमार और सुनीत सिंह, ने हत्या की है। इसके आधार पर, 23.10.1983 को सुबह 9:15 बजे बड़पुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच पीडब्लू-6 होरी लाल यादव को सौंपी गई, जिन्होंने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 के तहत चार्जशीट दाखिल की।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. मामला सत्र न्यायालय में भेजा गया। सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू-1 बैजनाथ ने (प्रदर्श का-1) को साबित किया। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी बातों का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि आरोपी विनोद के उनके बेटे महेश के साथ अवैध संबंध थे। आरोपी शिव राम ने घटना से 15 दिन पहले उन्हें इस रिश्ते के बारे में बताया था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को डांटा। पीडब्लू-2 देवेंद्र सिंह ने बताया कि 20.11.1983 को रात लगभग 10:00 बजे, जब वे अपने घर लौट रहे थे, तो उन्होंने आरोपी शिव राम के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पूछने पर, आरोपी शिव राम ने उन्हें बताया कि उनकी छोटी बेटी बीमार थी, और उनके बेटों यानी बाकी आरोपियों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ भी असामान्य नहीं था।

5. पीडब्लू-3 भवन सिंह ने बताया कि घटना वाले दिन, रात लगभग 10:00-10:30 बजे, जब वह अपने खेत की ओर जा रहे थे, तो उन्हें आरोपी मिले। उन्हें असामान्य रूप से चुप देखकर, उन्होंने इसका कारण पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कोई असामान्य बात नहीं है और उन्हें देर हो रही है। उन्होंने आरोपी विनोद और सुनीत की शर्ट पर कुछ पीले धब्बे देखे, जिससे उन्हें शक हुआ; हालाँकि, रात का समय होने के कारण उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे बताया कि अगली सुबह वह अपने ससुराल चले गए और 23.10.1983 को घर लौटने पर उन्हें पता चला कि महेश का शव मिल गया है। पीडब्लू-4 रणवीर ने बताया कि उन्होंने महेश को आरोपी के घर के अंदर जाते देखा था; हालाँकि, उन्होंने कोई दखल नहीं दिया क्योंकि महेश अक्सर उनके घर आते-जाते रहते थे। अगले दिन, जब उन्हें पता चला कि महेश लापता है, तो उन्होंने पीडब्लू-1 बैजनाथ को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी शिव राम ने पहले महेश के बारे में पीडब्लू-1 बैजनाथ से शिकायत की थी, जिसके लिए बैजनाथ ने अपने बेटे को डांटा था।

6. पीडब्लू-5 डॉ. के.सी. जैन ने 24-10-83 को ज़िला अस्पताल, इटावा में मृतक का पोस्टमार्टम किया। उन्हें मृतक के शरीर पर मौत से पहले लगी निम्नलिखित चोटें मिलीं:-

(i). गर्दन के अंदरूनी हिस्से पर 8 cm x 3.5 cm का कटा हुआ घाव है, जो बाईं ओर कान के निचले हिस्से से तिरछा होकर बाईं कॉलर बोन (*clavicle bone*) के अंदरूनी सिरे तक फैला हुआ है; साथ ही, छठी और सातवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा (गर्दन की रीढ़ की हड्डी के मनके) में फ्रैक्चर भी है।

(ii). बाईं सुप्रा-क्लेविकुलर फोसा (कॉलरबोन के ऊपर का गड्ढा) के अंदरूनी हिस्से से तिरछा 6 cm x 3 cm का कटा हुआ घाव; घाव हड्डी तक गहरा है और कॉलरबोन (हंसली की हड्डी) टूटी हुई है।

(iii). बाईं ओर निचले जबड़े (मैण्डिबल) पर 3 cm x 2.5 cm का कटा हुआ घाव, जो तिरछा होकर बीच के हिस्से के सामने तक फैला है; बाईं ओर का जबड़ा टूटा हुआ है।

(iv). जबड़े के बाहरी सिरे पर 6.5 cm x 3.5 cm का कटा हुआ घाव। यह घाव स्कैपुला (कंधे की हड्डी) के सामने वाले हिस्से में हड्डी तक गहरा है और दाईं ओर की कॉलरबोन (क्लाविकल) का बाहरी सिरा टूटा हुआ है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अंदरूनी जांच में उन्हें पता चला कि खोपड़ी की हड्डी के साथ-साथ बाईं टेम्पोरल हड्डी भी टूटी हुई थी और गर्दन की बीच वाली हड्डी भी टूटी हुई थी। रीढ़ की हड्डी फटी हुई थी, सांस की नली नीचे से फटी हुई थी और बाईं ओर फेरिंक्स (*pharynx*) और इसोफेगस (*esophagus*) के साथ-साथ खून की नसें भी कटी हुई थीं।

8. डॉक्टर की राय में, मौत की वजह शॉक और ज़्यादा खून बहना थी। शव पर 'रिगर मॉर्टिस' (मौत के बाद शरीर का अकड़ना) के लक्षण नहीं थे, लेकिन शरीर काफी हद तक सड़ने लगा था और पेट फूला हुआ था। शरीर पर कीड़े पड़ गए थे और नाखून व बाल ढीले हो गए थे, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता था। शरीर पर छाले भी थे और मौत लगभग 4 दिन पहले हुई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श का-2' के तौर पर दर्ज किया गया था।

9. पीडब्लू-6 S.I. हीरा लाल यादव ने बताया कि महेश के लापता होने की रिपोर्ट (प्रदर्श का-3) उसके चाचा जगदीश सिंह ने 22-10-1983 को दर्ज कराई थी। पीडब्लू-1 बैजनाथ की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का.-1) के आधार पर मामला जी डी. में दर्ज किया गया और जी डी. के हिस्से को (प्रदर्श का-4) के तौर पर मार्क किया गया। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का दौरा किया और इनक्वेस्ट रिपोर्ट (प्रदर्श का-5) तैयार करवाई, फोटो नैश तैयार किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने हेतु कांस्टेबलों को सौंप दिया। उन्होंने घटनास्थल से खून से सनी और सादी मिट्टी भी बरामद की और उसका मेमो (प्रदर्श का-11) तैयार किया। उन्हें खून के निशान मिले और वे आरोपी शिव राम के घर तक पहुँचे। हालाँकि, सामने का दरवाज़ा बंद था और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उन्हें घर की बाउंड्री में खून से सना 'घमरा' का पौधा मिला और उन्होंने उसकी रिकवरी का मेमो (प्रदर्श का.-13) तैयार किया। उन्होंने घर का साइट प्लान (प्रदर्श का-13) भी तैयार किया। इसके बाद उन्होंने अन्य गवाहों से पूछताछ की और चार्जशीट (प्रदर्श का-13) दाखिल की।

10. सत्र न्यायालय ने आरोपी शिव राम शुक्ला और सुनीत कुमार को यह कहते हुए बरी कर दिया कि महेश सिंह की हत्या का कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं था और उनकी मिलीभगत साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में गवाहों के बयानों पर चर्चा नहीं की और केवल उनके मुख्य परीक्षण (एग्जामिनेशन-इन-चीफ) और जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) को ही दोहराया। कोर्ट ने माना कि गवाहों के बयानों से किसी ठोस और विश्वसनीय सबूत के ज़रिए उनकी संलिप्तता साबित नहीं हुई। हालाँकि, कोर्ट ने अपीलकर्ता विनोद को आईपीसी की धारा 302 के तहत लगे आरोप से बरी कर दिया, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध का दोषी ठहराया, क्योंकि महेश को ले जाते हुए पीडब्लू-1 बैजनाथ ने देखा था।

11. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल शक पर आधारित है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बिना किसी सीधे सबूत के शक के आधार पर दर्ज की गई थी। यह तर्क दिया गया कि घटना कथित तौर पर 20.10.1983 को हुई थी, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट 22.10.1983 को दर्ज कराई गई थी, और प्रथम सूचना रिपोर्ट शव मिलने के बाद ही दर्ज की गई, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर शक पैदा होता है। आगे यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक और अपीलकर्ता के बीच किसी अवैध संबंध का कोई ज़िक्र नहीं

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, और यहां तक कि सत्र न्यायालय ने भी इस मकसद को खारिज कर दिया है, यह देखते हुए कि इस संबंध में शिकायत सह-आरोपी शिव राम ने पीडब्लू-1 बैजनाथ से की थी, जिसे बरी कर दिया गया है।

12. यह भी कहा गया कि हालांकि जांच अधिकारी ने खून से सने 'घमरा' पौधे की बरामदगी का दावा किया था, लेकिन उसे केमिकल जांच के लिए नहीं भेजा गया। मृतक के खून से सने कपड़े जांच के लिए भेजे गए थे, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट से पता चलता है कि दाग वर्गीकरण के लिए उपयुक्त नहीं थे, और यह तय नहीं किया जा सका कि खून मृतक का था या किसी और का। आगे यह तर्क दिया गया कि हालांकि अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया गया, बिना यह बताए कि अपहरण कैसे हुआ, और रिकॉर्ड में अपहरण का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच के दौरान अपीलकर्ता से आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसके समर्थन में, **सुब्रती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2021 LawSuit (All) 886 और उपेंद्र नाथ घोष बनाम समाट, AIR 1940 Cal 561** का हवाला दिया गया।

13. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने भरोसेमंद परिस्थितिजन्य सबूतों से अपना मामला साबित कर दिया है, जो एक पूरी शृंखला बनाते हैं और अपीलकर्ता के दोषी होने की ओर इशारा करते हैं। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को आखिरी बार मृतक को अपने साथ ले जाते हुए देखा गया था, जैसा कि पीडब्लू-1 बैजनाथ ने बताया है, और यह बात साबित हो चुकी है। चोटों के साथ शव का मिलना भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करता है। यह भी कहा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी या पक्के फॉरेंसिक नतीजों की कमी जैसी छोटी-मोटी कमियां, अगर कोई हों, तो भी वे अभियोजन पक्ष के मामले के मुख्य आधार पर कोई असर नहीं डालतीं। विद्वान सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर सही ढंग से विचार किया है और अपीलकर्ता को सही ठहराते हुए दोषी करार दिया है, इसलिए, इस फैसले में किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है।

14. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह कोर्ट पाती है कि अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी ठहराना, जबकि आरोप सिर्फ आईपीसी की धारा 302 के तहत तय किया गया था, महत्वपूर्ण कानूनी सवाल खड़े करता है जिन पर विचार करने की ज़रूरत है। खासकर, अपहरण का कोई साफ़ सबूत न होने की स्थिति में, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या ऐसी सज़ा बिना कोई खास आरोप तय किए और बिना सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ में अपीलकर्ता से ज़रूरी सवाल पूछे बिना दी जा सकती थी। यह मुद्दा मामले की जड़ से जुड़ा है और इसलिए, इसकी बारीकी से जांच ज़रूरी है। यह समझना मुश्किल है कि सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत बरी करने के बाद आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी क्यों ठहराया, खासकर तब जब उसने खुद पाया था कि अवैध संबंध का कथित मकसद साबित नहीं हुआ था और उन गवाहों की गवाही, जिन्होंने मरने से पहले मृतक को अपीलकर्ता के साथ देखने का दावा किया था, भरोसेमंद नहीं थी।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. ऊपर बताई गई बातों और दलीलों को देखते हुए, इस कोर्ट के सामने विचार के लिए ये कानूनी सवाल उठते हैं:

(i). क्या किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, अगर अपहरण या अगवा करने की बात साबित करने के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत न हो?

(ii). क्या कोई कोर्ट किसी आरोपी को आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी ठहरा सकती है, अगर यह पाया जाए कि अगवा किए गए व्यक्ति की मौत हत्या के कारण हुई थी, लेकिन उसे आईपीसी की धारा 302 के आरोप से बरी कर दिया गया हो?

(iii). क्या किसी ऐसे आरोपी को, जिस पर सिर्फ आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया हो, कानूनी तौर पर आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, जबकि इसके लिए कोई खास आरोप न लगाया गया हो?

16. जहाँ तक सवाल नंबर 1 का संबंध है, इसका जवाब 'नहीं' में है, क्योंकि आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी ठहराने के लिए ज़रूरी सबूतों की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। आईपीसी की धारा 364 की परिभाषा को पढ़ने से ही पता चलता है कि इस अपराध के मुख्य तत्व ये हैं:

(1) यह साबित होना चाहिए कि आरोपी ने अपहरण किया है;

(2) यह भी साबित होना चाहिए कि अपहरण इस मकसद से किया गया था कि:

(a) उस व्यक्ति की हत्या की जा सके; या

(b) उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जिससे उसकी हत्या का खतरा पैदा हो जाए। किसी व्यक्ति का अपहरण किस मकसद से किया गया, यह अपराध होने से पहले, अपराध के समय और अपराध के बाद की परिस्थितियों से पता लगाया जाना चाहिए।

17. अगर इस मामले के तथ्यों को ऊपर बताई गई स्थिति के नज़रिए से देखा जाए, तो यह साफ़ है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि मृतक महेश का अपीलकर्ता ने अपहरण किया था। इसके उलट, सबूतों से पता चलता है कि वह अपीलकर्ता के साथ अपनी मर्जी से गया था। पीडब्लू-1 बैजनाथ ने अपनी जिरह में कहा है कि मृतक की उम्र लगभग 27 साल थी और वह शादीशुदा था। उन्होंने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता ने कोई ज़बरदस्ती या दबाव डाला था। सिवाय इस बात के कि अपीलकर्ता ने मृतक को अपने साथ चलने के लिए बुलाया था, किसी भी तरह के बहकावे, धमकी या दबाव का कोई सबूत नहीं है। किसी के साथ चले जाने मात्र से अपहरण का मामला नहीं बनता। इसलिए, आईपीसी की धारा 364 की मुख्य शर्त साबित नहीं होती है, और दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

18. दूसरे सवाल पर आते हुए, ऐसा लगता है कि सत्र न्यायालय ने सेक्शन 221 में दिए गए प्रावधान को गलत समझा। सेक्शन का क्लॉज़ (1) कोर्ट को आरोपी को छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराने की इजाज़त देता है, भले ही उस पर उसका आरोप न लगाया गया हो। सब-सेक्शन (2) एक ऐसी ही, लेकिन थोड़ी अलग स्थिति से निपटता है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और ऐसे तथ्य साबित होते हैं जो उसे छोटे अपराध में बदल

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



देते हैं, तो उसे उस छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर उसका आरोप न लगाया गया हो। यह कोर्ट को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने की इजाज़त देता है जिसके लिए कोई आरोप तय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब जिस अपराध के लिए आरोप तय किया गया है और जिस अपराध के लिए आरोप तय नहीं किया गया है, वे आपस में जुड़े हुए (कॉग्नेट) अपराध हों। **रफीक अहमद उर्फ रफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 (8) SCC 300** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कॉग्नेट अपराधों के मतलब पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि :-

"आमतौर पर, गंभीर किस्म के अपराध में उससे कम गंभीर लेकिन उसी तरह के (यानी 'कॉग्नेट') अपराध के ज़रूरी तत्व शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में, अपराधों की कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे मानव शरीर के खिलाफ अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध और धोखाधड़ी, गबन, जालसाजी आदि से जुड़े अपराध। आम तौर पर, गंभीर और कम गंभीर अपराधों का सवाल एक ही श्रेणी में आने वाले अपराधों के संबंध में उठता है, न कि अलग-अलग श्रेणियों के बीच। अभियोजन पक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि वह कानून के अनुसार सभी सबूत इकट्ठा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपी पर लगाए गए आरोप को बिना किसी उचित संदेह के साबित किया जा सके। केवल उन्हीं मामलों में, जहां किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत की यह राय हो कि गंभीर अपराध मेरिट के आधार पर या तकनीकी खामी के कारण साबित नहीं हो पाया है, तो अदालत आरोपी को कम गंभीर किस्म के अपराध के लिए सज़ा दे सकती है। हमने पहले ही देखा है कि किसी जघन्य या गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति को उसी तरह के (कॉग्नेट) कम गंभीर अपराध के लिए सज़ा दी जा सकती है, जिसके ज़रूरी तत्व रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से साबित होते हों। हमने इस तरह के उदाहरण देखे हैं, जैसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय किया जाना और मामले की परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को धारा 304, भाग I या II के तहत सज़ा मिलना। इसके अलावा, आईपीसी की धारा 326 के तहत आरोपी व्यक्ति को अंततः आईपीसी की धारा 325 या 323 के तहत कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, यदि मामले के तथ्य ऐसा साबित करते हों। एक जैसे या मिलते-जुलते अपराधों को 'कॉग्नेट अपराध' कहा जा सकता है।"

19. आगे बढ़ते हुए, इसने 'कॉग्नेट ऑफ़ेन्सेज़' (मिलते-जुलते अपराधों) का मतलब बताया और कहा कि "ऐसे अपराधों से अपराधों के बीच समानता और आम ज़रूरी विशेषताओं का पता चलता है; और मुख्य रूप से गंभीरता के स्तर में अंतर पर आधारित होने के कारण इन्हें 'कॉग्नेट ऑफ़ेन्सेज़' माना गया है।" हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **'स्टेट ऑफ़ उत्तर प्रदेश बनाम राम स्वरूप उर्फ़ बरकत' (2026 INSC 256)** मामले में यह कहा कि:-

"संहिता की धारा 222(1) ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें किसी व्यक्ति पर कई विवरणों वाले अपराध का आरोप लगाया जाता है। यह धारा कोर्ट को आरोपी को छोटे अपराध (माइनर ऑफ़ेंस) के लिए दोषी ठहराने की अनुमति देती है, भले ही उस पर उसका आरोप न लगाया गया हो। उप-धारा (2) एक समान, लेकिन थोड़ी अलग स्थिति से संबंधित है। जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है और ऐसे तथ्य साबित होते हैं जो उसे

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



छोटे अपराध में बदल देते हैं, तो उसे छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उस पर उसका आरोप न लगाया गया हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कोड के तहत 'छोटे अपराध' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है; इसलिए, यह सवाल उठता है कि क्या धारा 364 के तहत परिभाषित अपहरण (एब्डक्शन/किडनैपिंग) के कृत्य को छोटा अपराध माना जा सकता है। आईपीसी की धारा 364 बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपहरण या एब्डक्शन इस इरादे से करता है कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाए या उसे इस तरह से रखा जाए कि उसकी हत्या का खतरा पैदा हो जाए, तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की कठोर कैद की सजा हो सकती है। धारा 302 के साथ तुलना करने पर यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये अलग-अलग और विशिष्ट अपराध हैं और किसी भी तरह से इन्हें एक ही श्रेणी के अपराध नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हमारी यह राय है कि हाई कोर्ट का सत्र न्यायाधीश के उस फैसले को पलटना पूरी तरह से सही और उचित था, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाए जाने के बावजूद धारा 364 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।"

20. इस संदर्भ में, कलकत्ता हाई कोर्ट के '**उपेंद्र नाथ घोष बनाम एम्परर**' (AIR 1940 Cal 561) मामले में दिए गए फैसले का जिक्र करना उचित होगा, जिसमें यह कहा गया था कि:-

"9. हमारी राय है कि विद्वान न्यायाधीश की इन गलतियों के कारण गलत फैसला सुनाया गया। अगर अभियोजन पक्ष का यह मानना था कि सबूतों से साबित होता है कि उपेंद्र ने लड़की की हत्या की है, तो उस पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए था, न कि कोई और आरोप। मौजूदा मामले की परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 364 के तहत आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में साबित हुई परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लड़की की हत्या उपेंद्र ने की थी। इन परिस्थितियों की कई ऐसी वाजिब व्याख्याएं हो सकती हैं जो उसकी बेगुनाही के अनुरूप हों। हालाँकि, अभी हमारा हत्या के आरोप से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि जूरी ने उपेंद्र को उस आरोप से बरी कर दिया है। जहाँ तक आईपीसी की धारा 364 के तहत आरोप की बात है, तो हमें लगता है कि साबित हुई परिस्थितियाँ इस आरोप को साबित करने से बहुत दूर हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं दिखाया गया है कि उपेंद्र लड़की का अपहरण करके उसकी हत्या क्यों करवाना चाहता; यह सोचना बेतुका होगा कि उसने सोने के पाँच 'मदुली' (ताबीज) हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने का इरादा किया था, जिनकी कीमत बहुत कम है और जिन्हें वह इतने जटिल तरीके को अपनाए बिना भी हासिल कर सकता था। ऐसी कोई परिस्थिति साबित नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि उपेंद्र लड़की को ले जाने के समय या उससे पहले उसकी हत्या करना चाहता था या करवाना चाहता था। अगर साबित करने की कोशिश की गई सभी परिस्थितियों को सच मान भी लिया जाए, तो भी इससे ज्यादा से ज्यादा यह शक पैदा होता है कि उपेंद्र ने लड़की को किसी गलत मकसद से ले जाया था। वे निश्चित रूप से दंड संहिता की धारा 364 के तहत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।"

10. यह अभियोजन उन कई मामलों में से एक है जिनमें हमने पाया है कि दंड संहिता की धारा 364 के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है। जब अभियोजन पक्ष का मामला यह हो कि

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपहरण करने वाले ने ही अपहृत व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो इस धारा के तहत आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अपहरण करने वाले पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए। हमने देखा है कि ऐसे मामलों में, जहाँ हत्या का आरोप साबित करने के लिए सबूत कमजोर या अधूरे होते हैं, अभियोजन पक्ष अक्सर दंड संहिता की धारा 364 के तहत आरोप जोड़ने या लगाने का तरीका अपनाता है। उन्हें उम्मीद होती है कि जो जूरी हत्या के आरोप में आरोपी को दोषी ठहराने में हिचकिचा सकती है, वह कम गंभीर आरोप में उसे दोषी ठहराने के लिए तैयार हो सकती है। इस प्रक्रिया की अनुचितता और गलतपन को बताने की शायद ही ज़रूरत है, और हम अपनी शक्ति के अनुसार दंड संहिता की धारा 364 के प्रावधानों के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए दृढ़ हैं। इस मामले में संबंधित न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वे इस धारा के तहत आरोप तय करने से इनकार कर दें। हमें लगता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ यह आरोप साबित करने के लिए वास्तव में कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश को रद्द करते हैं और उसे बरी करते हैं। उसे तुरंत रिहा किया जाए।

21. इस मामले के तथ्यों और ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, सवाल नंबर 3 का जवाब भी 'नहीं' में दिया जाता है। यह साफ़ है कि जिस आरोपी पर सिर्फ़ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया है, उसे किसी खास आरोप के बिना आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दोनों अपराध अलग-अलग हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। इस मामले में, आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और अपीलकर्ता पर न तो इस अपराध के लिए आरोप लगाया गया था और न ही सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उससे इस बारे में कोई सवाल पूछा गया था। इसलिए, आईपीसी की धारा 364 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना कानूनी रूप से सही नहीं है। ऊपर की चर्चा से निकले कानूनी सिद्धांतों को इस तरह संक्षेप में बताया जा सकता है:

(i). **बिना चार्ज वाले अपराध के लिए सज़ा, कुछ खास मामलों में:** किसी आरोपी को ऐसे अपराध के लिए सज़ा दी जा सकती है जिसके लिए खास तौर पर चार्ज नहीं लगाया गया था, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वह अपराध उस बड़े अपराध का ही एक छोटा हिस्सा हो जिसके लिए चार्ज लगाया गया था, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 221/222 में बताया गया है।

(ii). **छोटे और मिलते-जुलते (कॉग्नेट) अपराधों की अवधारणा:** किसी कम गंभीर अपराध के लिए सज़ा तभी दी जा सकती है जब अपराध प्रकृति में मिलते-जुलते (कॉग्नेट) हों, यानी उनमें ज़रूरी बातें एक जैसी हों और वे केवल गंभीरता के स्तर में अलग हों।

(iii). **मिलते-जुलते (कॉग्नेट) अपराधों की जाँच:** अपराधों को तभी मिलते-जुलते (कॉग्नेट) माना जा सकता है जब वे एक ही श्रेणी के हों और उनकी ज़रूरी विशेषताएँ एक जैसी हों; एक ज़्यादा गंभीर अपराध में उसी प्रकृति का कम गंभीर अपराध शामिल हो सकता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv). धारा 302 आईपीसी और धारा 364 आईपीसी मिलते-जुलते (कॉग्नेट) नहीं हैं: धारा 302 आईपीसी और धारा 364 आईपीसी के तहत अपराध अलग-अलग और विशिष्ट हैं और उन्हें मिलते-जुलते (कॉग्नेट) अपराध नहीं माना जा सकता।

(v). बिना चार्ज के धारा 364 आईपीसी के तहत सज़ा देना सही नहीं है: अगर किसी आरोपी पर धारा 302 आईपीसी के तहत चार्ज लगाया गया है, तो उसे धारा 364 आईपीसी के तहत छोटा अपराध मानकर सज़ा नहीं दी जा सकती।

(vi). हत्या के मामलों में धारा 364 आईपीसी का गलत इस्तेमाल: जहाँ अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अगवा किए गए व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, वहाँ आम तौर पर धारा 364 आईपीसी के तहत चार्ज लगाने की कोई गुंजाइश नहीं होती।

(viii). आईपीसी की धारा 364 के तहत वैकल्पिक आरोप का गलत इस्तेमाल: किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए आईपीसी की धारा 364 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि हत्या के अपराध से जुड़े सबूत कमज़ोर या अपर्याप्त हैं। अभियोजन पक्ष को आईपीसी की धारा 364 के ज़रूरी तत्वों, यानी अपहरण या अगवा करने और उसके पीछे के ज़रूरी इरादे को स्वतंत्र रूप से साबित करना होगा। अगर आईपीसी की धारा 364 के तहत आरोप का इस्तेमाल सिर्फ़ तब किया जाता है जब हत्या का मामला संदिग्ध हो, तो ऐसी सज़ा अनुचित होगी और कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी।

(ix). सबूत का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदेह: अगर यह दिखाने के लिए कोई स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत नहीं है कि आरोपी ने असल में उस व्यक्ति का अपहरण या अगवा किया था, और ऐसा दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उसका इरादा उस व्यक्ति की हत्या करवाने या उसे हत्या के खतरे में डालने का था, तो आईपीसी की धारा 364 के तहत अपराध नहीं बनता है। सिर्फ़ शक या संदिग्ध हालात काफी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में, अपराध की बुनियादी ज़रूरतें साबित नहीं हो पाती हैं, और इसलिए, आईपीसी की धारा 364 के तहत सज़ा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

22. इसलिए, अपील मंज़ूर की जाती है। सत्र न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 364 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाला फैसला और आदेश रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 364 के तहत आरोप से बरी किया जाता है। वह ज़मानत पर है। उसके ज़मानत बॉन्ड रद्द किए जाते हैं और ज़मानतदारों को बरी किया जाता है।

23. सत्र न्यायालय का रिकॉर्ड इस फैसले की कॉपी के साथ वापस भेजा जाएगा।

24. इस कोर्ट को जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अनुपालन रिपोर्ट को अभिलेख में रखे।

आदेश दिनांक :- 26.3.2026

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X,

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।